



8426
C-12

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
उत्तर ध्रीमीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh



फाइल नम्बर : 9-HRB146/2018-CHA

दिनांक : -08-2018

सेवा में,

अ०प्र०मुख्य०वन संरक्षक (एफ०सी)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
C- 18, वन भवन, सेक्टर 6,
पंचकुला हरियाणा

विषय: Diversion of 0.87 ha of forest land in favour of Mayar Infrastructure development Pvt. Ltd. For development of WBM Pedestral (road) on right side of Gurgaon Canal RD 66500 to 67900, under forest division and District Gurugram, Haryana. (Online proposal number FP/HR/Road/30738/2017)

सन्दर्भ: 1. प्र०मु०वन संरक्षक, हरियाणा के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 8426/1683 दिनांक 06.08.2018

प-51

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है वन जिसमें, 1980 अधिनियम (संरक्षण)की धारा 2-के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.87 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है

2. अतः प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करें

- (i) Name of project for which forest land is required be uploaded correctly.
- (ii) Short narrative of the proposal be uploaded correctly.
- (iii) Legal status of forest land proposed for diversion be uploaded correctly.
- (iv) DPGS map of the project site be uploaded and hardcopy be submitted.
- (v) Layout plan and area calculation of the project be submitted.

3. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें | जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय

Q/20/8/16
(एस०डी० शर्मा)

वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि: NO 011/8426 / 2037-38 DT 30-8-18

1. Divisional Forest Officer, Forest Division and District Gurugram, Haryana.
2. Mayar Infrastructure Development Pvt. Ltd., village Rahaka, Tehsil Sohna, District Gurugram, Haryana.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सीए एवं सीएफ०सीए)।
हरियाणा, पंचकुला

30/08/16